न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर,गंगापुर
जिला भीलवाड़ा
पीठासीन अधिकारी विकास पंचोली, आर.ए.एस.

प्रकरण संख्याः— 58 / 2019
वाद— अन्तर्गत धारा 88 आर.टी.ए.

रामनारायण गोद पुत्र मांगीदास वैष्णव निवासी आमली तहसील सहाड़ा जिला भीलवाड़ा।

वादी

बनाम

राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार भीलवाड़ा।

प्रतिवादी

अधिवक्ता वादीः— श्री संतोष पारीक
प्रतिवादी :—पेरोकार सरकार

वाद पत्र बाबत् घोषणात्मक डिक्री
अन्तर्गत धारा 88 आर.टी.ए.

दिनांक 28.02.2020

निर्णय

प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि वादी ने वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88 आर.टी.ए. का प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि वादी ग्राम आमली तहसील सहाड़ा का निवासी होकर गांव आमली की सीमा में अपने गोद पिता मांगीदास वैष्णव द्वारा छोड़ी गई कृषि आराजीयात पर काबिज होकर काश्त लाभ लेता आ रहा है।

यह कि वादी की नाबालिग अवस्था में ही वादी के बड़े पिता मांगीदास के कोई पुत्र अथवा पुत्री सन्तान नहीं होने से वादी को मांगीदास ने गोद पुत्र रखलिया तभी से वादी अपने गोद पिता मांगीदास वैष्णव के साथ ही रहता आ रहा है। और मांगीदास की समस्त कृषि आराजियात पर बहेसियत खातेदार काश्तकार के काबिज हो काश्त करता चला आ रहा है।

यह कि वादी अपने गोद पिता मांगीदास के गोद चला जाने के बाद मांगीदास के शामिल शरीक रहता आ रहा है और वादी ने अपना आधार कार्ड बनाया उसमें वादी का नाम रामनारायण पिता मांगीदास का अंकन किया हुआ है तथा राशन कार्ड भी ग्राम पंचायत आमली द्वारा बनाया गया उसमें भी रामनारायण पिता मांगीदास अंकित किया हुआ है तथा वादी ने अपने नाम का बैंक खाता खुलवाया जिसमें रामनारायण पिता मांगीदास अंकित है। परन्तु राजस्व ऐजेन्सीयों द्वारा सेवन से राजस्व जमाबंदी में रामनारायण पिता धनराजदास मूल पिता का नाम अंकित कर दिया है जो गलत है। जिससे में वादी राजस्व जमाबंदी में रामनारायण पिता

सहायक कलक्टर
(उपखण्ड अधिकारी)
गंगापुर जिला भीलवाड़ा

मांगीदास वैष्णव करवाना चाहता हूँ। इसी हेतु यह वाद पत्र कर प्रमाण मं आधार कार्ड, राशन कार्ड, तथा बैंक खाते की पास बुक की प्रतियां पेश है।

यह कि राजस्व जमाबंदी में वादी दुरूस्ती करायी जाने हेतु घोषणात्मक डिक्री इस आशय की प्राप्त करने का अधिकारी है कि वादी अपने बड़े पिता के यंहा गोद चला गया और गोद पिता की सम्पत्तियों पर काबिज है और उपयोग एवं उपभोग करता आ रहा है जमाबंदी में रामनारायण पिता मांगीदास वैष्णव कराने का अधिकारी है तद्नुसार जमाबंदी में रामनारायण पिता धनराज के बजाए रामनारायण पिता मांगीदास वैष्णव दर्ज किया जावें। तथा वादी मांगीदास का गोद पुत्र होने की घोषणात्मक डिक्री प्राप्त करने का अधिकारी है।

वादी ने प्रार्थना की हैं कि वादी के पक्ष में प्रतिवादी के विरूद्ध घोषणात्मक डिक्री इस आशय की जारी करायी जावे कि ग्राम आमली की सीमा में वादी के खातेदारी की कृषिआराजियात में जमाबंदी में वादी का नाम रामनारायण पिता धनराजदास अंकित हुआ है चूंकि वादी अपने बड़े पिता के गोद चला जाने से रामनारायण पिता मांगीदास वैष्णव अंकित किया जावे। तद्नुसार राजस्व जमाबंदी में दुरूस्ती की जावें।

वादी द्वारा प्रस्तुत वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88 आर.टी.ए. का इस न्यायालय में दिनांक 06.05.2019 को पंजिबद्ध किया जाकर प्रतिवादी को नोटिस जारी किया गया। प्रतिवादी उपथित। प्रतिवादी द्वारा जवाब पेश जिसके अनुसार वाद पत्र की बिन्दु संख्या 1 से 3 वादी स्वयं सिद्ध करें एवं बिन्दु संख्या 4 से 6 को न्यायिक बताया है।

प्रतिवादी का जवाब पेश होने पर तनकी कायम की गई जो निम्नानुसार हैः–

1. आया वादी मांगीदास के गोद जाने से रेकार्ड में रामनारायण पिता धनराज के बजाय रामनारायण पिता मांगीदस वैष्णव नाम दर्ज कराने का अधिकारी है। **जिम्मेवादी**
2. अनुतोष?

वादी की साक्ष्य में शपथ पत्र पर बयान P.W-1, P.W-2, P.W-3 प्रस्तुत किये गये हैं। जिनमें निवेदन किया कि वादी ग्राम आमली का निवासी है। वादी के नाबालिग अवस्था में ही बड़े पिता मांगीदास के कोई संतान नहीं होने से गोद रहा, जिसमें समस्त दस्तावेज में पिता का नाम मांगीदास अंकित है। आधार कार्ड, राशनकार्ड, बैक तथा अन्य समस्त सरकारी दस्तावेज में वादी के पिता का नाम मांगीदास अंकित है, केवल राजस्व रेकार्ड में शपथकर्ता के मूल पिता धनराज उर्फ धन्नादास अंकित है।

तनकी को सिद्ध करने हेतु आधार कार्ड प्रदर्श –1 है, राशनकार्ड प्रदर्श 2, बैंक खाता पासबुक प्रदर्श – 3, पेनकार्ड प्रदर्श–4, वोटर आईडी प्रदर्श –5, शपथ पत्र दिनांक 09.04.2002 प्रदर्श –6, एवं वसीयत दिनांक 10.05.2012 प्रस्तुत की है जो प्रदर्श –7 हैं वादी ने अपनी साक्ष्य में कुल 7 दस्तावेज प्रदर्श कराये।

वादी अधिवक्ता एवं पैरोकार सरकार की बहस सुनी गई। वादी अधिवक्ता ने अपने वाद पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराया तथा न्यायालय का ध्यान इस ओर आकृषित किया कि वादी ने अपने वाद पत्र को सिद्ध कराने बाबत् दस्तावेजी साक्ष्य

सहायक कलक्टर
(उपखण्ड अधिकारी)
गंगापुर जिला भीलवाड़ा (राज.)

प्रस्तुत किये हैं अतः वाद पत्र में चाही गई रिलीफ के अनुसार वाद पत्र वादी के पक्ष में स्वीकार किया जावें। पैरोकार सरकार ने अपने जवाब में बिन्दु संख्या 01 से 6 का उल्लेख में वादपत्र की बिन्दु संख्या 1 से 3 में वादी स्वयं सिद्ध करें एवं बिन्दु संख्या 4 से 6 न्यायिक बताया।

मैनें पत्रावली का आधोपान्त अवलोकन किया तथा प्रस्तुत बहस पर मनन किया। प्रकरणमें तनकीवार निष्कर्ष निम्न प्रकार है–

तनकी नंबर 1 आया वादी मांगीदास के गोद जाने से रेकार्ड में रामनारायण पिता धनराज के बजाय रामनारायण पिता मांगीदस वैष्णव नाम दर्ज कराने हेतु प्रस्तुत दस्तवेज साक्ष्यों अनुसार वादी तनकी नं0 1 सिद्व करने में सफल रहा है।

उपरोक्त विवेचन के अनुसार वादी का वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88 अन्तर्गत धारा का यह न्यायालय वादी के पक्ष में स्वीकार किया जाना उचित समझतता है अतएवं–

–: आदेश :–

वादी का वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88 आर0टी0ए0 का स्वीकार किया जाता हैं। वादी के पक्ष में प्रतिवादी के विरूद्ध घोषणात्मक डिक्री इस आशय की जारी की जाती हैं कि ग्राम आमली की सीमा में वादी के खातेदारी की कृषि आराजियात में जमाबंदी में वादी का नाम रामनारायण पिता धनराजदास के बजाए रामनारायण गोदपुत्र मांगीदास वैष्णव दर्ज किये जाने का आदेश दिया जाता है। तद्नुसार डिक्री जारी हो।

तहसीलदार सहाड़ा द्वारा उक्तानुसार राजस्व जमाबंदी में दुरूस्ती की जावें।

पत्रावली बाद दाखला रजिस्टर के फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

(विकास पंचोली)
सहायक कलक्टर
उपखण्ड अधिकारी, गंगापुर
गंगापुर जिला भीलवाड़ा (राज.)

सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी) गंगापुर जिला भीलवाड़ा (राज.)

Signature Not Verified
Digitally signed by Vikas Pancholi
Date: 2020.02.28 16:22:43 IST
Reason: SelfAttested
Location: